

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(11)एम.ई. / ग्रुप-1 / 1990

जयपुर, दिनांक:

16 AUG 2022


आदेश

डॉ. अरविन्द कुमार जैन, वरिष्ठ आचार्य, मेडिसिन मेडिकल कॉलेज, जोधपुर जिनकी जन्म तिथि 25.09.1958 है, के अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 30.09.2023 को मध्याह्न पश्चात् से राज्य सेवा से सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. अरविन्द कुमार जैन, वरिष्ठ आचार्य, मेडिसिन मेडिकल कॉलेज, जोधपुर के विरुद्ध आज तक :-


1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियाँ विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आज्ञा से,


(इकबल खान)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जोधपुर।
4. संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जोधपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
6. डॉ. अरविन्द कुमार जैन, वरिष्ठ आचार्य, मेडिसिन मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
7. ए.सी.पी., चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।


(अशोक कुमार सोनी)
शासन उप सचिव